सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 31)

[25 अगस्त, 2000]

सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन अधिनियम, 2000 है । संक्षिप्त नाम ।

2. सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में, "महाप्रशासक अधिनियम, 1913" शब्दों और अंकों के स्थान पर "महाप्रशासक अधिनियम, 1963" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे । धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 14 का संशोधन ।